30.3.2021

पत्रावली पेश हुई। अधि. उभय पक्ष हाजर। बहस अधि. उभय पक्ष सुनी गई। बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी आदेश दिनांकित 25.4.2014 के तहत आदेश है जो अपीलीय न्यायालय ने 5.6.2012 की तारीख की सुनवाई का जारी किया था। अपीलार्थी आदेश के अपीलीय न्यायालय द्वारा 145-2014 तक मौके की यथास्थिति अपील के विरुद्ध तामील जारी थी। वर्तमान में आदेश के यथास्थिति बनाए रखने की तिथि समाप्त हो चुकी है। अतः प्रकरण के तथ्य एवं पत्रावली के अवलोकन के आधार पर न्यायालय के अपील अपीलांट आदेश स्वीकार करने योग्य है। अपील अपीलांट आदेश स्वीकार करती है अपीलार्थी आदेश दिनांकित 25.4.2014 निरस्त करते हुए प्रकरण अपीलीय न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण के उभय पक्ष को विधिवत सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान करते हुए प्रा.प. अन्तर्गत धारा 212 RTA का निस्तारण विधिवत रूप से एक माह के अन्दर किया जाना सुनिश्चित करें। उभय पक्ष दिनांक 20.4.2021 को अपीलीय न्यायालय के समक्ष हेतु उपस्थित हो। पत्रावली के पक्षकारान हेतु नकल के काबिल है एवं बाद तामील दाखिल दफ्तर हो। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अखिलेश कुमार मिश्रा